

जाति-आधारित भेदभाव संबंधी चर्चाएँ

प्रलिस के लयि:

[उचति मूल्य की दुकानें](#), [आतमहत्या](#), अनुसूचति जाति, अनुसूचति जनजाति, [अन्य पछिडा वर्ग](#), [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013](#), नैतकित्ता, मूल्य

मेन्स के लयि:

शासन और प्रशासन में नैतकित्ता पर समाज में प्रचलित वभिन्न जाति-आधारित भेदभावपूर्ण प्रथाओं का प्रभाव

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्यों?

पाटन ज़िला कलेक्टर का हालिया नरिदेश जसिमें कानोसन गाँव में दलति द्वारा संचालित [उचति मूल्य की दुकान \(FPS\)](#) से सभी राशन कार्डों को पड़ोसी गाँव में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है, महत्त्वपूर्ण नैतिक और संवैधानिक प्रश्न उठाता है।

उचति मूल्य की दुकान (FPS):

- FPS भारत में सरकार द्वारा संचालित एक वनियमति रटिल आउटलेट या स्टोर है।
 - उचति मूल्य की दुकानों का प्राथमिक उद्देश्य जनता को आवश्यक वस्तुओं जैसे [खाद्यान्न](#), [खाद्य तेल](#), [चीनी](#) और [अन्य बुनियादी आवश्यकताओं](#) को [रथियती](#) या [उचति मूल्य पर वतितरति](#) करना है।
 - ये दुकानें आमतौर पर [सरकारी कल्याण कार्यक्रमों](#) का हसिसा हैं जनिका उद्देश्य [खाद्य सुरक्षा सुनिश्चिति](#) करना और [कम आय वाले परिवारों पर आर्थिक बोझ को कम](#) करना है।
 - इस प्रणाली में [आधार प्रमाणीकरण](#) के माध्यम से लाभार्थियों के सत्यापन के लयि एक मज़बूत तंत्र मौजूद है और इसमें [इलेक्ट्रॉनिकि प्वाइंट ऑफ सेल \(e-POS\)](#) मशीनों की सहायता से ऑनलाइन लेनदेन की नगिरानी करने की सुवधि है।
 - लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन मल्लि यह सुनिश्चिति करने के लयि [e-POS उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिकि वज़न मशीनों के साथ एकीकृत कथिा](#) गया है।
 - ये FPS और ePOS मशीनें [वन नेशन वन राशन कार्ड योजना \(ONORC\)](#) के कार्यान्वयन एवं नरिबाध कार्यान्वयन में सहायक साबति हुई हैं।

घटना में शामिल वभिन्न नैतिकि पहलू:

- नैतिकि मुद्दों:
 - [भेदभाव और सामाजिक समानता](#):
 - इस मामले में मुख्य नैतिकि मुद्दा राशन कार्डों के हस्तांतरण के कारण जातिके आधार पर [भेदभाव](#) है।
 - [कर्तव्य की उपकषा](#):
 - राशन कार्डों को स्थानांतरित करने के ज़िला कलेक्टर के नरिदेश को [कर्तव्य की उपेकषा](#) के रूप में देखा जा सकता है।
 - सार्वजनिकि प्राधिकारियों को [सत्यनषिठा](#) की नैतिकि अवधारणा के अनुसार नषिपक्ष रूप से और सभी नागरिकों के सर्वोत्तम हति में कार्य करना आवश्यक है।
 - [मानसकि स्वास्थय और कल्याण](#):
 - जाति-आधारित भेदभाव के शकिकर वयकतद्वारा अनुभव कथिा गया मानसकि आघात, जसिके कारण [आतमहत्या का प्रयास और शरीर पर चोट लगना](#) एक महत्त्वपूर्ण नैतिकि चतिा का वषिय है।
 - [करुणा](#), सहानुभूत और वयकतियों के कल्याण की रकषा करने का कर्तव्य महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
 - [कानूनी ढाँचे का प्रयोग](#):

- **भोजन का अधिकार** अभियान के संयोजक SC/ST अधिनियम और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे कानूनी ढाँचे को लागू करने का आह्वान करते हैं।
- **वधि के शासन** को कायम रखने और संवधान का सम्मान करने के नैतिक सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिये।
- हाशयि पर रहने वाले समुदायों का सशक्तिकरण:
 - **हाशयि पर रहने वाले समुदायों** के सशक्तिकरण से संबंधित अनिवार्य सिद्धांतों का उल्लंघन एक प्रमुख नैतिक चिंता का विषय है।
 - नषिपकषता, **समता** और **गैर-भेदभाव**, न्याय एवं **समानता** के नैतिक सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिये।
- नैतिक दायित्व:
 - अपने कार्यों के परिणामों का हल करने में ज़िला कलेक्टर और अभिजात वर्ग के परिवारों का **नैतिक दायित्व** बढ़ जाता है।

घटना के अन्य परिप्रेक्ष्य:

- संवधानिक आदेशों का उल्लंघन:
 - भारतीय संवधान **समानता**, न्याय और गैर-भेदभाव के मौलिक मूल्यों को स्थापित करता है जैसा कि **संवधान के भाग-III (अनुच्छेद 17) में मौलिक अधिकारों** के तहत नहिं है।
 - जात के आधार पर की जाने वाली भेदभावपूर्ण कार्रवाईयों इन संवधानिक सिद्धांतों का खंडन करती हैं।
- वैधानिक आदेशों का उल्लंघन:
 - अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधित 2015) का कार्यान्वयन न करना:
 - अनुसूचित जात के व्यक्ति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार **SC/ST अधिनियम, 1989** के दायरे में आता है जिसका उद्देश्य हाशयि पर रहने वाले समुदायों के खिलाफ अत्याचारों को रोकना और दंडित करना है।
 - यह जात-आधारित भेदभाव और हिसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।
 - **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम:**
 - यह अधिनियम गाँवों में FPS के लोकतांत्रिक सशक्तीकरण को कायम रखता है तथा हाशयि पर रहने वाले समुदायों के वितरण नियंत्रण की वकालत करता है।
 - राशन की दुकानों को दूसरे FPS में स्थानांतरित करना इस कानून की भावना का उल्लंघन है।

समान स्थितियों में की जाने वाली कार्रवाईयों:

- नविकरण कदम:
 - जागरूकता स्थापित करना:
 - जात-कलंक और भेदभाव के मथिकों को तोड़ने के लिये **मध्याह्न भोजन योजना** के कार्यान्वयन के मॉडल को अपनाया जा सकता है जहाँ गणमान्य लोग पका हुआ भोजन ग्रहण करते हैं।
- दंडात्मक कार्रवाई:
 - जात-आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिये आगे की कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिये।
 - ऐसी गलत गतिविधियों को नौकरशाहों की **वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों** से जोड़ना ताकियह भविष्य में एक नविकरण के रूप में कार्य करें।
 - लाइसेंस नरिस्तीकरण:
 - दलित FPS डीलरों का लाइसेंस रद्द होने से आर्थिक प्रभाव और आजीविका को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- स्वतः संज्ञान लेना:
 - भोजन का अधिकार, अभियान उच्च न्यायालयों अथवा सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय से भेदभावपूर्ण राशन कार्ड हस्तांतरण पर **स्वतः संज्ञान** लेने का आग्रह करता है।
 - कानून के शासन और संवधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिये ऐसी कार्रवाईयों आवश्यक हैं।
- लोकतांत्रिक सशक्तिकरण तथा समावेशिता:
 - उचित मूल्य दुकानों की भूमिका (FPSs):
 - FPSs हाशयि पर रहने वाले समुदायों के लिये **खाद्य सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं तक पहुँच सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाते हैं।
 - समावेशिता और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिये **FPSs का लोकतांत्रिक सशक्तीकरण महत्त्वपूर्ण** है।

नषिकरण:

- जात-आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार द्वारा दुकान मालिकों को गंभीर हानि पहुँची है, जो न्याय एवं जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है। **सामाजिक समानता**, न्याय तथा समावेशिता के मूल्यों को कायम रखना न केवल एक कानूनी दायित्व है बल्कि एक लोकतांत्रिक और वविधि समाज के लिये एक नैतिक अनिवार्यता भी है।
- यह घटना भारत में जात-आधारित भेदभाव को समाप्त करने और संवधानिक मूल्यों को बनाए रखने में आ रही चुनौतियों की एक स्पष्ट याद दिलाती है।

??????:

प्रश्न 1. आधुनिक समय में नैतिक मूल्यों का संकट अच्छे जीवन की संकीर्ण धारणा से उत्पन्न होता है। चर्चा कीजिये (2017)

प्रश्न 2. लोक प्रशासन में नैतिक दुवधियों को हल करने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिये। (2018)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/concerns-of-caste-based-discrimination>

